राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर

Email-bikaner.we@rajasthan.gov.in, ph.- 01512226018
धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र,पंचायत समिति परिसर, बीकानेर

क्रमांक – दिनांक

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु आवेदन प्रपत्र

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)2017 के नियम 6 व 7 एवं संशोधित आदेश दिनांक 26.08.2019 के बिन्दु 12 के (2) के अंतर्गत)

उपनिदेशक,

महिला अधिकारिता,

बीकानेर।

विषयः– बीकानेर जिले में स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु आवेदन बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था बीकानेर जिले के पुलिस थाना............................के थाना भवन में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(क) संस्था का परिचय

संस्था का नाम	
रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं संस्था	प्रमाणित प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या.................
संस्था का पंजीकृत कार्यालय–पूर्ण पता	
संस्था का संविधान	प्रमाणित प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या.................
संस्था की कार्यकारिणी	प्रमाणित प्रति संलग्न करें पृष्ठ संख्या.................
टेलीफोन व मोबईल नम्बर	
फैक्स	
ई–मेल	
वेबसाईट यदि हो	

RajKaj Ref
8186402

Signature valid
Digitally signed by Anuradha Saxena
Designation : Assistant Director
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST
Reason: Approved

(ख) संस्था के कार्य एवं अनुभव

संस्था का कार्यक्षेत्र	
संस्था के मूल उद्धेश्य	
संस्था द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण	संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है।
संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रो में कार्य किया गया है उसका पूर्ण विवरण	संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है।
संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण	संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है।
क्या संस्था को व्यथित महिलाओं को सलाह और मार्गदर्शन आदि क्षेत्र का अनुभव है, यदि हां तो कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा विस्तृत विवरण	संक्षिप्त विवरण दें। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है।
संस्था को महिला एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए जिला एवं राज्य सरकार स्तर पर पुरस्कृत किया गया है तो उसका विवरण एवं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	

RajKaj Ref
8186402

Signature valid
Digitally signed by Anuradha Saxena
Designation : Assistant Director
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST
Reason: Approved

(ग) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था

<table>
<tr>
<td>संस्था में कार्मिको की कुल संख्या व विवरण</td>
<td>
<table>
<tr><td>नाम</td><td>पद</td><td>शैक्षणिक योगयता</td><td>अनुभव</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
उक्त सूचना के लिए अलग से शीट संलग्न की जा सकती है
</td>
</tr>
<tr>
<td>पिछले तीन वर्षो मे संस्था की आय के स्त्रोत एवं व्यय का विवरण</td>
<td>
<table>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>वित्तीय वर्ष</td><td>आय के स्त्रोत</td><td>आय</td><td>व्यय</td><td>विशेष विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>2020–21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2021–22</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2022–23</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">योग</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था की गत तीन वर्षो की सीए ऑडिट रिपोर्ट</td>
<td>वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 की सीए ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें।</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था की वार्षिक रिपोर्ट</td>
<td>वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 के कार्यक्रमों व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करें।</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था को गत तीन वर्षो में ब्लैक लिस्ट नहीं किये जाने का प्रमाण–पत्र</td>
<td>राशि रूपये 50 के नॉन ज्यूडीश्यल स्टॉप पर स्वहस्ताक्षरित शपथ पत्र</td>
</tr>
</table>

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि.......................................(संस्था का नाम) के संबंध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाएं, जहां तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है।हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते है कि महिला एवं सुरक्षा सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)2017 में दी गई शर्तों एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असन्तोषजनक पाया जाता है तो राज्य सरकार संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगी।

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)
नाम
पता/टेलीफोन नम्बर
स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर (सचिव)
नाम
पता/टेलीफोन नम्बर
स्थान
दिनांक

RajKaj Ref
8186402

Signature valid
Digitally signed by Anuradha Saxena
Designation : Assistant Director
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST
Reason: Approved

पात्रता की शर्तें

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान अधिसूचना (संशोधन)-2017 के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्तें नियमानुसार है:--

1. कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28,1958) अथवा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1960 (1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12 AA में अथवा राजस्थान लोकन्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
2. संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रूप से सामाजिक कार्यकलापों से जुड़ी होनी चाहिए।
3. उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा, संरक्षण एवं अधिनियमों तथा महिला विकास एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हो।
4. राजस्थान सरकार के परिपत्र प 2 (18) आयो./ग्रुप–2/2023/1180 जयपुर दिनांक 17.04.2023 के अनुसार संस्था स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से प्रमाणनशुदा होना चाहिये।

(हस्ताक्षर)

RajKaj Ref
8186402

Signature valid
Digitally signed by Anuradha Saxena
Designation : Assistant Director
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST
Reason: Approved

समीक्षा

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु सामान्य शर्तें निम्नानुसार हैः–

1. संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन की पात्र होनी चाहिए।
2. इस योजना की शर्तों एवं समय–समय पर जारी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के योग्य होनी चाहिए।
3. संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
4. संस्था के पास महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र चलाने के लिए दो प्रशिक्षित/अनुभवी/योग्य महिला कर्मचारी होनी चाहिए प्रथम परामर्शदाता का समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में आवश्यक रूप से स्नातकोत्तर एवं द्वितीय परामर्शदाता विधि स्नातक होना अनिवार्य है।
5. संस्था के द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण 2005 की धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन सेवाप्रदाता के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य होगा। अगर पंजीयन नहीं है तो अनुबंध समापादित करने के 6 माह के अन्दर–अन्दर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
7. किसी करणवश चयनित संस्था केन्द्र संचालन में असमर्थ रहती है तो संस्था को जारी किया गया समान सबंधित थाना प्रभारी को सुपुर्द किया जायेगा। जिसका उपयोग उस केन्द्र हेतु चयनित अन्य संस्था द्वारा किया जा सकेगा।
8. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन अवधि अनुबंध किये जाने की दिनांक से एक वर्ष के लिए होगी। जिसे नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
9. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित) 2017 की शर्तें/निर्देशो एवं समय–समय पर जारी विभागीय आदेशो/निर्देशो, वित्तीय अनियमितता, असंतोषप्रद सेवा, महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र की पीडिताओं आदि की गोपनीयता भंग करने की दशा में संस्था का अनुबंध किसी भी समय समाप्ति का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
10. संस्था स्वैछिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
11. संस्था आधार योजना में संस्था का पंजीयन होना चाहिए, अगर नहीं है तो पंजीयन करवाकर उपलब्ध करवाना होगा।
12. जहां तक संभव होगा चयनित संस्था को केन्द्र संचालन के लिए स्थान व अन्य सुविधा थाना परिसर में उपलब्ध कराई जाएगी।
13. किसी भी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम विवाद का निपाटरण जिला कलक्टर महोदय की ध्यक्षता में किया जावेगा।
14. समस्त विवादो का न्यायिक क्षेत्र बीकानेर होगा।

RajKaj Ref
8186402

Signature valid

Digitally signed by Anuradha Saxena
Designation : Assistant Director
Date: 2024.06.19 18:56:08 IST
Reason: Approved